158 (18)

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री ......पवन कुमार आहूजा.......... ऑपरेटर: अवार्ड... पिता/पति का नाम श्री ......स्व० माया राम आहूजा.......... स्थल ......म०न० 25 26A ...... रोड ......इलाहाबाद। जोन संख्या ( )

में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है, सचिव के चिन्हित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें। मानचित्र पर अंकित प्रतिबन्ध सहित

संयुक्त सचिव/प्र०अ०-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
157/83 ... Zone 4/10-11
पत्रांक
दिनांक 04/7/2011
इलाहाबाद

नोट :-

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि मकान का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।
2. इस अनुमति-पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ा कर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़या, सीढ़ी, झाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।
3. मकान निर्माण से यदि गली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
4. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
5. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
6. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

Received Plans ... Director ... Pvt Ltd

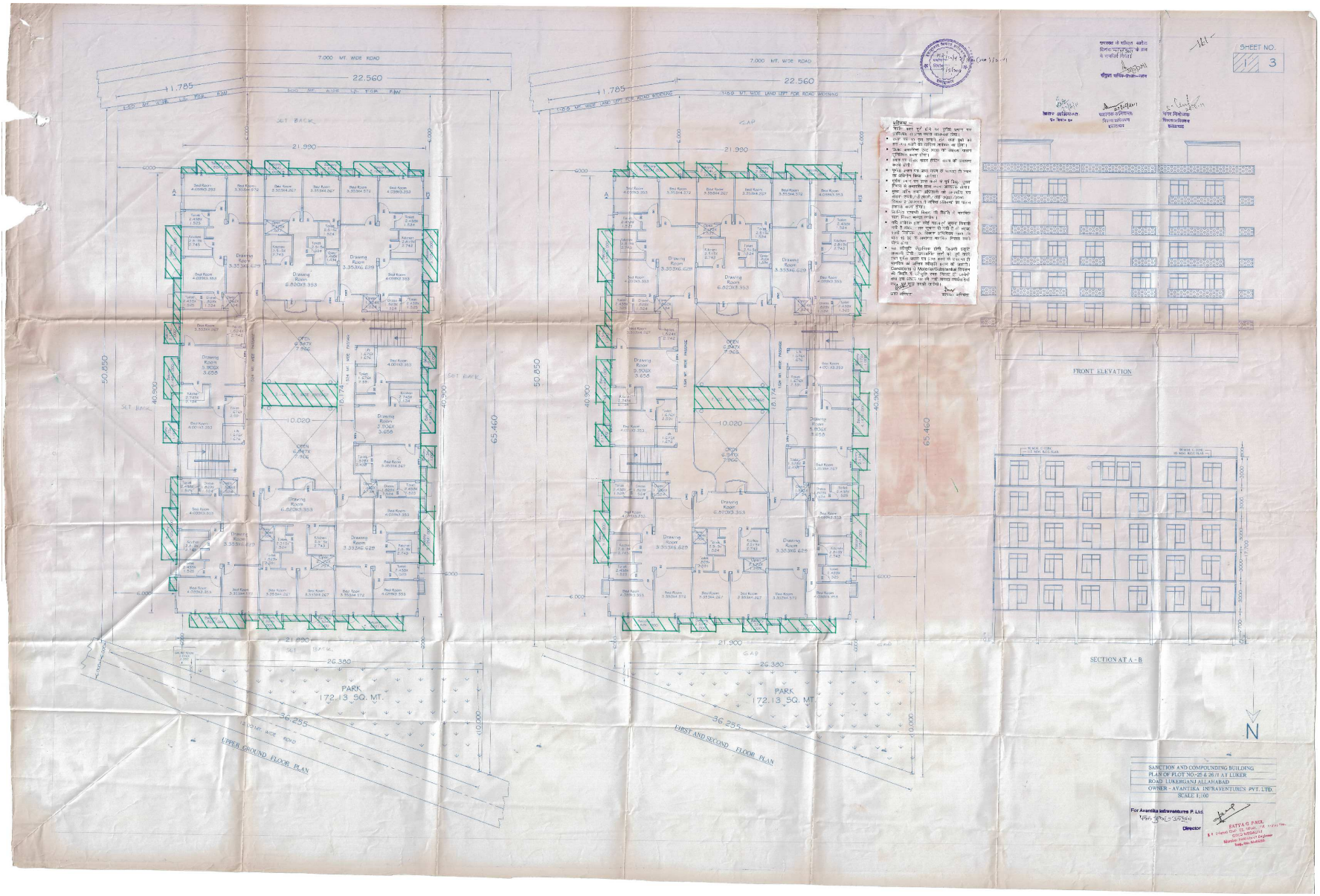

SHEET NO. 3
7.000 MT. WIDE ROAD
22.560
11.785
1.169 MT. WIDE LAND LEFT FOR ROAD WIDENING
SET BACK
GAP
21.990
21.900
40.900
50.850
65.460
18.174
10.020
Bed Room
Drawing Room
Kitchen
Toilet
OPEN
1.524 MT. WIDE PASSAGE
26.380
PARK
172.13 SQ. MT.
36.255
10.000
UPPER GROUND FLOOR PLAN
FIRST AND SECOND FLOOR PLAN
FRONT ELEVATION
SECTION AT A - B
N
SANCTION AND COMPOUNDING BUILDING
PLAN OF PLOT NO.-25 & 26 /1 AT LUKER
ROAD LUKERGANJ ALLAHABAD
OWNER - AVANTIKA INFRAVENTURES PVT. LTD.
SCALE 1;100
For Avantika Infraventures P. Ltd.
Director
SATYA G. PAUL
GOLD MEDALIST
Member Institute of Engineer

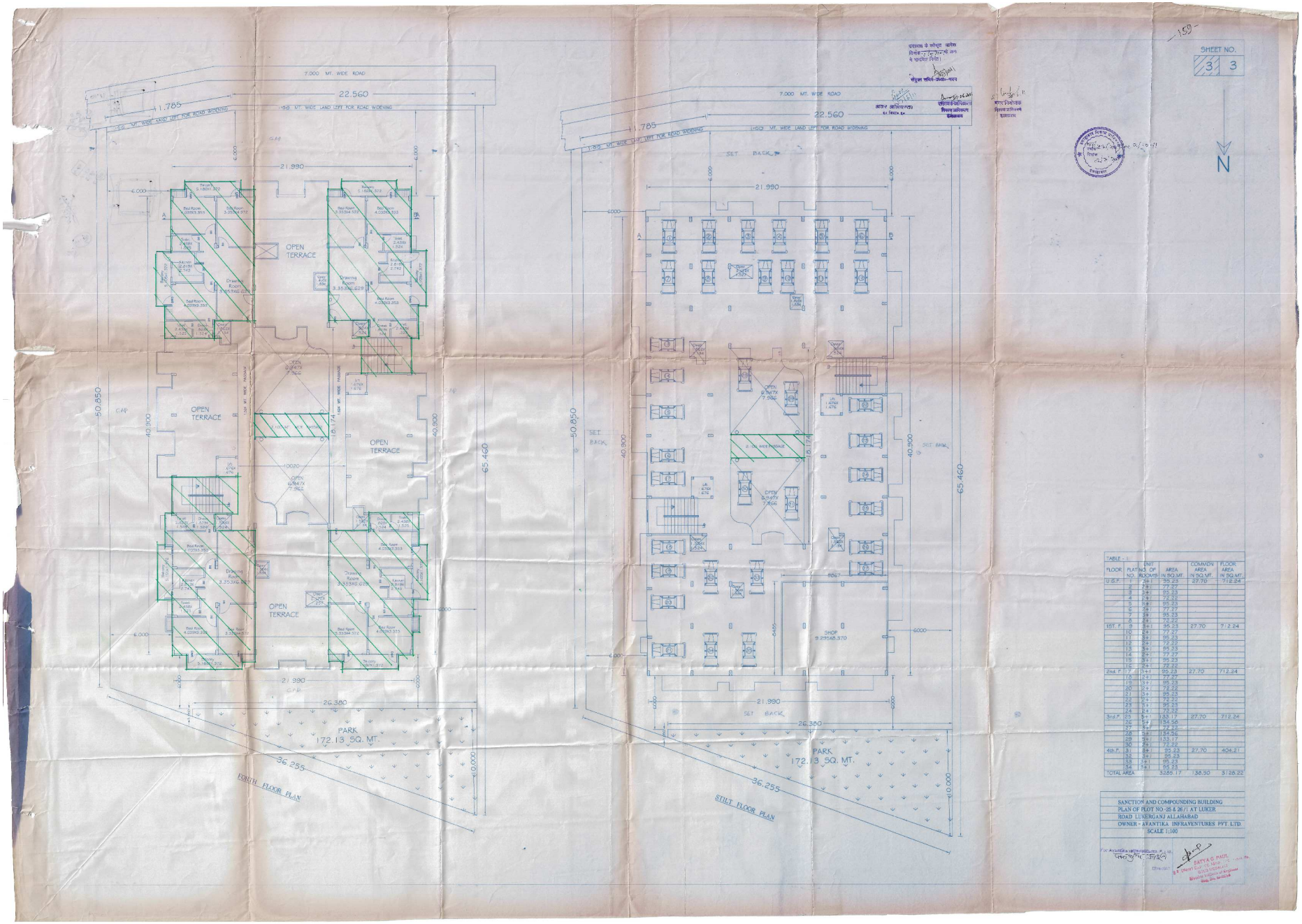

SHEET NO. 3 | 3

N

TABLE - 1

FLOOR	FLAT NO.	UNIT NO. OF ROOM'S	AREA IN SQ.MT.	COMMON AREA IN SQ.MT.	FLOOR AREA IN SQ.MT.
U.G.F.	1	3+1	95.23	27.70	712.24
	2	2+1	77.27		
	3	3+1	95.23		
	4	2+1	72.22		
	5	3+1	95.23		
	6	2+1	77.27		
	7	3+1	95.23		
	8	2+1	72.22		
1ST. F.	9	3+1	95.23	27.70	712.24
	10	2+1	77.27		
	11	3+1	95.23		
	12	2+1	72.22		
	13	3+1	95.23		
	14	2+1	77.27		
	15	3+1	95.23		
	16	2+1	72.22		
2nd. F.	17	3+1	95.23	27.70	712.24
	18	2+1	77.27		
	19	3+1	95.23		
	20	2+1	72.22		
	21	3+1	95.23		
	22	2+1	72.22		
	23	3+1	95.23		
	24	2+1	72.22		
3nd.F.	25	5+1	133.17	27.70	712.24
	26	5+1	134.58		
	27	3+1	72.22		
	28	5+1	134.56		
	29	5+1	133.17		
	30	2+1	72.22		
4th.F.	31	3+1	95.23	27.70	404.21
	32	3+1	95.23		
	33	3+1	95.23		
	34	3+1	95.23		
TOTAL AREA			3285.17	138.50	3128.22

SANCTION AND COMPOUNDING BUILDING
PLAN OF PLOT NO.-25 & 26/1 AT LUKER
ROAD LUKERGANJ ALLAHABAD
OWNER - AVANTIKA INFRAVENTURES PVT. LTD.
SCALE 1:100

For Avantika Infraventures P. Ltd.
Director

SATYA G PAUL
B.E. (Hons) Civil
GOLD MEDALIST
Member Institute of Engineers

TOTAL AREA OF PLOT	2025.54	SQ. MT.
LAND LEFT FOR L/W	15.61	" "
NET AREA	2009.93	" "
EXISTING AREA ON STILT F.	712.24	" "
EXISTING AREA ON G. F.	712.24	" "
EXISTING AREA ON F. F.	712.24	" "
EXISTING AREA ON S. F.	712.24	" "
EXISTING AREA ON T. F.	712.24	" "
COMPOUNDING AREA ON G. F.	8.77	" "
COMPOUNDING AREA ON F. F.	8.77	" "
COMPOUNDING AREA ON S. F.	8.77	" "
COMPOUNDING AREA ON T. F.	8.77	" "
COMPOUNDING AREA ON FORTH F.	404.21	" "
PARK AREA	172.13	" "
4X95.84+2X25.11=433.58 SQ.MT.		

S.N.	F. A. R. CACULATION			
1.	PREMISSIBLE F. A. R.	1.50	3014.89	SQ.MT.
2.	SANCTIONED F. A. R.	1.35	2719.60	SQ.MT.
3.	REVISED F. A. R. UTLISED IN 4th FLOOR	0.15	295.29	SQ.MT.
4.	TOTAL COVERED AREA IN 4th FLOOR		404.21	SQ.MT.
5.	COMPOUNDABLE F.A.R.			SQ.MT.
6.	TOTAL COVERED AREA		3285.17	SQ.MT.

TOTAL AREA OF PLOT	2025.54	SQ. MT.
LAND LEFT FOR L/W	15.61	" "
NET AREA	2009.93	" "

S.N.	FLOOR	SANCTION	EXISTING	COMPOUNDING	NO. OF UNIT	REMARK
1	STILT	77.80	30.00	(-)47.80	PARKING+ SHOP	
2	U.G.F.	703.47	712.24	8.77	08	
3	F.F.	703.47	712.24	8.77	08	
4	S.F.	703.47	712.24	8.77	08	
5	THIRD FLOOR	703.47	712.24	8.77	06	
6	FORTH FLOOR	-	-	404.21	04	
	TOTAL	2891.68	3285.17	361.49	34	